न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -06/2024

अनवान

1. श्रीमती राममूर्ति वाई पत्नी बलराम धाकड़, जाति धाकड़, उम्र वालिग, पेशा काश्त, निवासी जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

-वादीगण/प्रार्थीगण

बनाम

1. रामनाथ पिता धन्नालाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र 63 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. वंशीलाल पिता भंवरलाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र 35 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. विजयलाल पुत्र पिता भंवरलाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र 30 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
4. प्रहलाद पिता भंवरलाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र 28 वर्ष, पेशा काश्त, निवासी जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
5. श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
6. श्री दौलतराम पिता धन्नालाल धाकड़, जाति धाकड़, उम्र वालिग, पेशा काश्त, निवासी जालखेड़ा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान

........विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. एवं धारा 151जा.दी.)

उपस्थित - श्री यशवन्तराय श्रीवास्तव अभिभाषक प्रार्थी
अप्रार्थी संख्या 1 से 4, 6 श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत
अप्रार्थी संख्या 05 पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 05.11.2024

प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीया की ग्राम जालखेड़ा, प0ह0 जालखेड़ा, भू.अ.नि. बड़ोदिया, तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 की जमाबंदी अनुसार खाता संख्या 119 की खसरा संख्या 453, क्षेत्रफल 2.75 है0, लगानी 13.75 रू. में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा खाते दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर प्रार्थीया विगत करीब 15 वर्षो से काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। जिसमें आने-जाने का रास्ता पूर्व में ही पगडन्डी का बना हुआ होकर आने-जाने के उपयोग में लिया जा रहा था किन्तु उक्त रास्ता खाते में तरमीम नहीं होने से वर्तमान में कोई रास्ता कायम किया हुआ नहीं है। विपक्षीगण रामनाथ पिता धन्नालाल धाकड़, दौलतराम धाकड़, बंशीलाल, विजयलाल, प्रहलाद पुत्र भंवरलाल के खातेदारी हक की कृषि आराजीयात खसरा संख्या 449, 450, 451 जो कि विपक्षीगण के सामलाती खाते दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें विपक्षी संख्या 01 रामनाथ पिता धन्नालाल धाकड़ ने उक्त कदीमी आने-जाने के रास्ते पर पत्थर डाल कर दीवार बनाकर रास्ता रोक दिया है। जिस पर प्रार्थीया ने विरोध किया तो विपक्षी रामनाथ धाकड़, ने रास्ता खोलने से [illegible] दिया कि यहां कोई रास्ता नहीं है अगर तुम्हे रास्ता चाहिए तो तुम अलग से रास्ता कायम करवा लो प्रार्थीया का अपने खेत पर आने-जाने का उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य और कोई सुगम रास्ता अपने खेत पर आने-जाने का नहीं है। प्रार्थीया का अपने खाते की कृषि भूमि पर जो कि खसरा संख्या 449, 450, 451 से होकर प्रार्थीया के खेत जिसके खसरा संख्या 453 की ओर जाता है वह रास्ता बंद हो जाने से अब अन्य कोई रास्ता शेष नहीं बचा है इसलिए प्रार्थीया खसरा संख्या 449, 450, 451 में आवा जाही हेतु 15 फिट का रास्ता कायम करना चाहती है। नक्शे में दर्शाई गई लाल स्याही से अंकित रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahe
Date: 2024.11.27 17:11:
Reason: SelfAttested

कायम कराना चाहती है। जिससे वह अपने खसरा संख्या 453 में निर्विवाद रूप से काश्त कार्य हेतु आ जा सके तथा खेतों में पैदा होने वाली फसल को तथा उसमें आने-जाने के लिए कृषि यंत्र जिसमें टेक्ट्रर आदि को लाया ले जाया जा सके। प्रार्थीया खसरा संख्या 449, 450, 451 के पश्चिम दिशा में खाली के पास से होते हुए प्रार्थीया के खेत तक 15 फिट का रास्ता कायम कराना चाहती है। इस हेतु जो भूमि रास्ते के लिए उपयोग में आती है उस राशि की डी.एल.सी. के अनुसार सम्पूर्ण राशि प्रार्थीया स्वयं जमा कराने को तैयार है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थीया का सदर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण संख्या 01 से 04 के खाते की जमीन में से 15 फिट रास्ता कायम किया जावे तथा उसी अनुरूप नक्शें में भी तरमीम किये जाने का आदेश प्रदान फरमाने का निवेदन किया है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 व 6 की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुन सिंह चुण्डावत ने पैरवी हेतु वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी संख्या 05 पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित। प्रकरण में सुनवाई के दौरान वकील प्रतिवादी/प्रार्थी संख्या 1 से 7 ने प्रकरण में दिनांक 17.10.2024 को प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. व धारा 151जा0 दी0 का इस आशय का प्रस्तुत किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी द्वारा ग्राम जालखेडा की आराजी संख्या 449 में रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश किया है, जबकि उक्त आराजी संख्या 449 वर्तमान में दौलतराम, भंवरलाल पुत्र धन्ना धाकड सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है,जिनमें से भंवरलाल पुत्र धन्ना का स्वर्गवास हो चुका है तथा भंवरलाल जी के पांच जाईन्दा संताने है तथा उक्त आराजी का नामान्तरण अभी भंवरलाल जी के वारिसानों के नाम नहीं खुला है इसलिए प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 02,03,04 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है तथा उक्त प्रकरण में पक्षकारों का कुसंयोजन है इस कारण प्रार्थना पत्र को प्रथमदृष्टया की अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04 के नाम किसी प्रकार की कोई खातेदारी जमीन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रिकॉर्ड नहीं है इसलिए प्रार्थी को इनके विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई हक व अधिकार नहीं है न ही कभी कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ है इसलिए प्रथमदृष्टया ही प्रकरण को खारिज किया जाना न्यायोचित है। अंत में अप्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण/विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने से इन्कार कर सिधे बहस करने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रतिवादी/प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगणों द्वारा रास्ते के प्रकरण में आराजी संख्या 449 में से रास्ता चाहा गया है, किन्तु आराजी संख्या 449 अभी वर्तमान में दौलतराम, भंवरलाल के नाम दर्ज है किन्तु भंवरलाल का स्वर्गवास हो चूका है और इन्तकाल नहीं खुला है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04 के रूप में श्री भवंरलाल के वारिसान को अप्रार्थीगण बनाया गया है जबकि भंवरलाल के 05 जायन्दा संतानें है। अप्रार्थी संख्या 02, 03,04 को पक्षकार बनाये जाने का कोई हक व अधिकार नहीं होकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकारों का कुसंयोजन है। जिससे प्रार्थना पत्र धारा 251 [illegible] करने का निवेदन किया। इसके विपरीत वकील विपक्षी/वादी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को [illegible] कथन किया कि प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. [illegible] होने से तथा अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र रास्ते के में देरी करने के [illegible] स्टेज पर खारिज करने योग्य है। श्री भंवरलाल धाकड के वारिसान द्वारा जानबुझकर इन्तकाल नहीं [illegible]वाया जा रहा है तथा अप्रार्थीगण संख्या 02, 03, 04 भंवरलाल के ही वारिसान होकर अप्रार्थी बनाये गये है, अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 पेश किया जो विधि द्वारा वर्जित है। अंत में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महज प्रकरण मे देरी करने के उथेश्य से पेश किया है जो विधिविरूद्ध होने से मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाय जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gago
Date: 2024.11.27 17:11:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (जिला [illegible])

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण ग्राम जालखेडा प0ह0 जालखेडा की खाता संख्या 119 की खसरा संख्या 453 रकबा 2.75है0 भूमि पर आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 से 04 के आराजी संख्या 449, 450, 451 में कदीमी समय से चालू रास्ते के संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए के तहत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 में प्रार्थीगण का कथन है कि वादी द्वारा स्व0 भंवरलाल जी के 05 जायन्दा संताने है किन्तु वर्तमान जमाबंदी में स्वर्गीय श्री भंवरलाल जी का नामान्तरण भी नही खुला है जिससे नामान्तरण पुर्व सभी को आवश्यक पक्षकार बनाये बिना ही रास्ते का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो विधिवर्जित होकर प्रथमदृष्टया स्वीकार योग्य नहीं है। उपरोक्त विवेचनों के अनुक्रम में प्रार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 251ए चलने योग्य नहीं होने से प्रथमदृष्टया ही खारिज योग्य है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रमाणित होने से स्वीकार योग्य पाया गया है।

अतः प्रतिवादी/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाकर वादीगण/अप्रार्थीगण का वाद बाबत ग्राम जालखेडा पटवार हल्का जालखेडा की खाता संख्या 119 की खसरा संख्या 453 रकबा 2.75है0 भूमि पर आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 से 04 के आराजी संख्या 449, 450, 451 से रास्ते के संबंध में प्रार्थना पत्र धारा 251ए का खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 05.11.2024 को सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

(महेश गगोरिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Ga
Date: 2024.11.27 17:11:23 IST
Reason: SelfAttested